प्रेस नोट- जनपद फतेहपुर
दिनांक 23.05.2025

थाना खागा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए संलिप्त 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खागा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खागा पर हत्या अपराध शीर्षक अंर्तगत पंजीकृत अभियोग अ0सं0- 175/2025 धारा 103(1)/238(क) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त शोभित कुमार पासवान पुत्र राजाराम निवासी टीकर सराय थाना असोथर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 32 वर्ष को आज दिनांक-23.05.2025 पश्चिमी बाइपास खागा से गिरफ्तार कर विधिक अनुक्रम में मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

घटना का विवरण- दिनांक 21.05.2025 को सुबह थाना खागा पर सूचना प्राप्त हुयी कि पूर्वी बाईपास के बगल आरख की बगिया मे एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्र0नि0 गिरेन्द्र पाल सिंह मय पुलिस टीम के आरख की बगिया मे पहुंचे जहां एक महिला का शव पडा हुआ था। जिसे देखने से प्रथमदृष्टया गला दबा कर हत्या करना प्रतीत हो रहा था। शव मिलने की सूचना पर स्थानीय आम जनमानस के लोग भी एकत्रित हो गये जिसमें कतिपय लोगों द्वारा शव की पहचान प्रीती देवी पत्नी शोभित कुमार निवासी टीकर सराय थाना असोथर फतेहपुर एवं मायका ग्राम सुजरही थाना खागा जनपद फतेहपुर के रूप में हुयी। सूचना के क्रम में मृतका के परिजन द्वारा भी शव की पहचान की गयी। शव की शिनाख्त के उपरांत मृतका के भाई गौरव द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत कर विधिक अनुक्रम में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में संकलित साक्ष्य से मृतका प्रीती देवी की हत्या पति शोभित कुमार द्वारा आपसी वैचारिक मतभेद के परिणामस्वरूप गला दबाकर किये जाने की पुष्टि हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पताः--

- शोभित कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम टीकर सराय थाना असोथर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 32 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीमः—

1. प्र0नि0 गिरेन्द्र पाल सिंह
2. हे0का0 आशीष उपाध्याय
3. का0 कमलेश राजभर

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर